न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2016 अपील आर्म्स
पंजीयन दिनांक 16–08–2016
निर्णय दिनांक 09–10–2017

श्री कयूम खां पिता श्री अजीज खान (अब्दुल अजीज) निवासी कोटड़ा तहसील कोटड़ा जिला उदयपुर (राजस्थान)

–– अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर राजस्थान

–– प्रत्यर्थी

उपस्थिति–

1.श्री कुन्दन सिंह सोनी –– अधिवक्ता अपीलार्थी

2.श्री योगेन्द्र दशोरा –– राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–18 आयुध अधिनियम विरुद्ध आदेश
जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

निर्णय

दिनांक 09.10.2017

यह अपील अपीलार्थी ने शस्त्र अधिनियम–1959 की धारा–18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, चितौडगढ़ के आदेश दिनांक 05–07–2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। कि अपीलार्थी श्री कयूम खांन पिता श्री अजीज खान (अब्दुल अजीज) निवासी कोटड़ा को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा

अनुज्ञा पत्र संख्या 48/2004 जारी किया गया तथा जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर की रिपोर्ट के आधार पर समय समय पर नवीनीकरण किया गया। अनुज्ञाधारी श्री कयूम खांन का शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण पुलिस थाना कोटड़ा की पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इस तथ्य पर नवीनीकरण किया गया कि अनुज्ञाधारी के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं है, जबकि अनुज्ञाधाारी के विरुद्ध 9 प्रकरण दर्ज हुए है । प्रार्थी का लाईसेन्स गलत रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण हुआ, जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर ने अपने आदेश में अंकित किया गया है। अनुज्ञाधारी से प्राप्त जवाब प्रस्तुत प्रकरण में संतोषप्रद नहीं होने से आयुद्य अधिनियम 1959 में दिये गये प्रदत्त शाक्तियों से अनुज्ञाधारी श्री कयूम खांन पिता अजीज खान को जारी अनुज्ञापत्र संख्या 48/2004 को निरस्त करने का आदेश दिया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर की पत्रावली मंगवाई गयी। प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने अनुज्ञापत्र संख्या 48/2004 जारी किया। वर्ष 2016 तक नवीनीकरण किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रमीण उदयपुर द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध श्री हयातुल्ला के शिकायत प्रार्थना पत्र पर जो जांच की गयी वह एक तरफा जांच कार्यवाही की गयी जिसमें अपीलान्ट को नहीं सुना गया न अपीलान्ट को जवाब का मौका दिया गया। यदि जवाब का मौका दिया जाता तो जो जांच की गयी वह गलत साबित होती । अपीलान्ट को दिनांक 18.04.2016 को नोटिस दिया कि सात दिन में अपना स्टष्टीकरण देवें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही कर शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया जावेगां। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ विद्वान न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अनुज्ञापत्र संख्या 48/2004 जारी हुआ जिसमें अपीलान्ट के स्व. पिता श्री अजीज खां (अब्दुल अजीज खा) के नाम से होकर दिनांक 21.09.2004 को मेरे नाम अनुज्ञापत्र ट्रान्सफर हुआ। अतः में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सर्वथा अवैधानिक, असंवैधानिक एवं कानून के विपरित होने से निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी वांछित अपेक्षित कार्यवाही की जानी चाहिये उन सभी कार्यवाही को पूर्ण कर उक्त आदेश पारित किया गया है। जो न्याय संगत होकर कानून के आधारों पर सही है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में आर्म्स अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के पूर्व आवेदनकर्ता के चरित्र सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकार प्राप्त करने हेतु महानिरीक्षक, पुलिस उदयपुर रेन्ज द्वारा

जांच रिपोर्ट मांगी गयी। जिसमें अपीलान्ट के खिलाफ 9 प्रकरण दर्ज होना बताया गया है। और वह वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन भी है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने व्यापक जनहित में कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति की दृष्टि से लाईसेन्स जारी करना उचित नहीं मानकर जो निर्णय पारित किया है वह विधि के अनुकूल होकर सही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त करने योग्य हैं

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध सन् 1987 से 2014 तक 9 प्रकरण थाना कोटड़ा में पंजीबद्ध किये गये है। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के पत्र दिनांक 29–02–2016 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरुद्ध न्यायालय में 9 प्रकरण दर्ज होकर वर्तमान में कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन भी है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2016 विधि अनुसार है।

अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का निर्णय दिनांक 05–07–2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को खुले अदालत में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर